झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) विविध–15 –04/14 (खण्ड) 3039 रॉंची, दिनांक – 08-06-16

आदेश

श्री अमित कुमार (आई०डी०–C0101) प्राक्कलन पदाधिकारी खरकई बॉध प्रमण्डल सं०–1 मुसाबनी शिविर चालियामा को विभागीय अधिसूचना संख्या–7776 दिनांक– 21.12.13 द्वारा लघु सिंचाई अनुमण्डल सिसई में पदस्थापित किया गया था। श्री कुमार द्वारा विभागीय स्थानांतरण आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2715 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2) श्री कुमार से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 1743 दिनांक 13.04.15 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3) उक्त दण्ड के सापेक्ष श्री कुमार द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य या तर्क नहीं दिया गया है जिसके आधार पर इन्हें संसूचित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके।

अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

4) उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (नि०)

ज्ञापांक – 3039 रॉंची,दिनांक – 08-06-16

प्रतिलिपि – महालेखाकार झारखण्ड, रॉंची/माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, रॉंची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, गुमला/मुख्य अभियंता लघु सिंचाई रॉंची/उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग रॉंची/कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल गुमला/श्री अमित कुमार सहायक अभियंता लघु सिंचाई अनुमण्डल सिसई (गुमला)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/06/2016

सरकार के अवर सचिव (नि०)

08.06.16

F:\kanhaiya 2016\LS_B.M.P.singh\Office Order.docx